भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 187

03.02.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025

187. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नियमों की मुख्य विशेषताएं/मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उक्त नियमों के कार्यान्वयन के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन नियमों के कार्यान्वयन में केंद्रीय और राज्य दोनों अभिकरणों/प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अंतिम अवधि वाले वाहनों के निपटान और पुनर्चक्रण संबंधी तात्कालिक आंकड़े प्रदान करने के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई कार्यान्वयन समिति स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन हेतु पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 को दिनांक 06 जनवरी, 2025 के का.आ. 98 (अ) के माध्यम से अधिसूचित किया। ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसके तहत वाहनों के उत्पादकों को प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को नष्ट करने के लिए अनिवार्य ई.पी.आर. लक्ष्य दिए जाते हैं। ये नियम कार्षिक ट्रैक्टर, कार्षिक ट्रेलर, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों पर लागू होते हैं।

उक्त नियमों के तहत, निर्दिष्ट स्क्रैपिंग लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों को स्वयं के उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों सहित उन वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्व को पूरा करना अनिवार्य बनाया गया है, जिन्हें वे घरेलू बाजार में लाए है या लाने वाले हैं।

परिवहन वाहनों के मामले में 15 वर्ष पहले और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 20 वर्ष पहले बाजार में लाए गए वाहनों के लिए उत्पादकों को वर्ष 2025-26 से प्रयोग की अवधि समाप्त हुए वाहनों को नष्ट करने के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। उन्हें या तो अपने स्वयं के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा वाली किसी भी इकाई द्वारा तैयार विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। उन्हें वर्तमान वर्ष के लिए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं की घोषणा उसी वर्ष 30 अप्रैल तक केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष करनी होगी तथा पिछले वित्तीय वर्ष में स्वयं के उपयोग में लाए गए वाहनों सहित बाजार में लाए गए वाहनों के संबंध में तथा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं की पूर्ति के संबंध में 30 जून तक केन्द्रीय बोर्ड को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर फार्म 1 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

उत्पादकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे कि प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या निर्दिष्ट संग्रहण केंद्रों पर जमा किया जाए। उन्हें पंजीकृत मालिक से प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहन को किसी भी निर्दिष्ट संग्रहण केंद्र, जिसमें उसका विक्रय केंद्र भी शामिल है, पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी तथा निर्दिष्ट संग्रहण केंद्र, विक्रय केंद्र की सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा अपने विक्रय केंद्रों और सेवा केंद्रों के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

उत्पादकों को बाय-बैक स्कीम, जमा वापसी स्कीम आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को पूरा करना होगा, या इसे पूरा करने के लिए किसी अन्य इकाई को नामित करना होगा। प्रत्येक उत्पादक को जागरूकता अभियान चलाना होगा तथा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या निर्दिष्ट संग्रह केंद्र पर प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को सुरक्षित जमा करने के लिए बढ़ावा देकर ग्राहकों को प्रोत्साहित करना होगा।

थोक उपभोक्ताओं और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। आरवीएसएफ को अनुपयुक्त वाहनों या प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए प्राप्त करना अधिदेशित है और इनके द्वारा इन वाहनों का प्रसंस्करण, प्रदूषण-निवारण, विघटन, पृथक्करण और स्क्रैपिंग कार्यकलाप अनिवार्य रूप से करने चाहिए।

आरवीएसएफ प्रत्येक प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहन के प्रसंस्करण के बाद उत्पादकों द्वारा खरीद के लिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बनाए गए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों से स्टील की मात्रा के आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

इन नियमों के तहत, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए इन नियमों के प्रकाशन के छह महीने के भीतर एक केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों, थोक उपभोक्ताओं और आरवीएसएफ का पंजीकरण, ईपीआर प्रमाणपत्रों को तैयार करना और उनका आदान-प्रदान, ईपीआर बाध्यताओं और प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के संबंध में रिटर्न दाखिल करना, प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को प्राप्त करने के लिए नामित संग्रह केंद्रों की सूची अपलोड करना शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उत्पादकों का पंजीकरण करने का अधिदेश दिया गया है। ये नियम सीपीसीबी को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों की सामग्रियों के हथालन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी करने और इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम बनाते हैं। सीपीसीबी को उत्पादक का समय-समय पर निरीक्षण और संपरीक्षण करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सुविधा इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। सीपीसीबी स्वयं पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का आवधिक निरीक्षण और संपरीक्षण कर सकता है या किसी अधिकृत एजेंसी से करवा सकता है। सीपीसीबी किसी उत्पादक या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इन नियमों के उल्लंघन या बाध्यताओं की पूर्ति न करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है कि संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में आरवीएसएफ और स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाएं, जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएं, और ग्राहकों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या नामित संग्रह केंद्र में प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को सुरक्षित रूप से जमा करने के प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आरवीएसएफ और थोक उपभोक्ता को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करने का अधिदेश दिया गया है। एसपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आरवीएसएफ का आवधिक निरीक्षण और संपरीक्षा स्वयं करनी है या किसी अधिकृत एजेंसी से निरीक्षण करवाना आवश्यक है। एसपीसीबी को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का आवधिक निरीक्षण और संपरीक्षा स्वयं करनी है या किसी अधिकृत एजेंसी से निरीक्षण करवाना आवश्यक है और उल्लंघन करने पर या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इन नियमों के तहत बाध्यताओं की पूर्ति न करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

यदि उत्पादक या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता इन नियमों के तहत पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के हथालन और स्क्रैपिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो वे पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाली हानि, क्षति या चोट के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नियम 17 के अनुरूप, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 30.01.2025 के आदेश के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति का गठन किया है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों/उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और स्क्रैपिंग सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

*****